

एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ़
जप्ती पत्रक

थाना- एसीबी0/इओडब्ल्यू रायपुर इकाई- एसीबी0 रायपुर, जिला- रायपुर(छ0ग0)
अपराध क्रमांक- 09/2015 धारा- 13(2), 13(1)डी पी0सी0एक्ट 1988, 109, 120बी भा.द.वि.

नाम एवं पद जिससे जप्त - श्री मनोरथ सिंह गुर्जर पिता श्री विशाल सिंह उम्र 46 साल,
किया गया तकनीकी सहायक प्रभारी,

हाल मुकाम- ए/401 भाटिया रेसीडेन्सी, मंगला रोड,
बिलासपुर, छ.ग.

स्थायी पता- ग्राम जिगनी, तहसील व जिला मुरैना

मोबाईल नंबर- 9407609396

जप्ती स्थान - मंदिर हसौद स्थित राज्य भण्डार गृह निगम का गोदाम नंबर-12 ई

दिनांक व समय - 13.02.2014 के 15.30 बजे

नाम गवाहान जिनके समक्ष जप्त किया गया

- (1) श्रीमती सुमन पटेल पति श्री मनोज पटेल, उम्र 33 साल, निवासी- मकान नंबर 9
सेक्टर-2, अवंति विहार, रायपुर (कनिष्ठ तकनीकी सहायक छ0ग0 राज्य नागरिक
आपूर्ति निगम) मो0नं0-8871001711
- (2) श्री संदीप मीका पिता श्री जार्ज मार्शल मीका, उम्र 33 साल, निवासी- जिला अस्पताल
के पीछे पण्डरी (संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति
निगम) रायपुर, मो0नं0-9826672562
- (3) श्री राजेन्द्र कुमार यदु पिता श्री अभयराम यदु, उम्र 55 साल, निवासी- शिक्षक कालोनी
डगनिया रायपुर (वरिष्ठ सहायक, छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम)

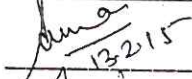
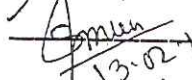
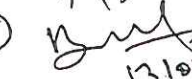
विवेचक का नाम - नवनीत पाटिल, निरीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर

विवरण

छ0ग0 राज्य भण्डार गृह निगम के गोदाम नंबर-12 ई जिसमें 20 x 30 फीट
आकार में 16 बोरो की उंचाई में कुल 6 थप्पियों (स्टेक) में छ0ग0 अमृत नमक के 1-1 किलो
के करीब 50 पैकेट के बोरे जिनमें से प्रत्येक थप्पियों में से 4-4 बोरो में से 1-1 पैकेट नमक
सैम्पलिंग हेतु निकाला गया, निकाले गये पैकेट में 26 पैकेट में निर्माता रमेश सॉल्ट ट्रेडर्स
स्टेशन रोड हलवद सुरेन्द्र नगर, 5 पैकेट में निर्माता सूरज आयोडाईज कंपनी खाराघोड़ा
गुजरात तथा 2 पैकेट में निर्माता जगन्नाथ इन्डस्ट्रीज प्लॉट नंबर-104-5 जी.आई.डी.सी.
हलवद 363330 खाराघोड़ा गांधीधाम लिखा है। उपरोक्त सभी 33 पैकेट नमक की सैम्पलिंग
वजन, रंग, आयोडीन की मात्रा एम.बी.आई. किट से जाँच कर, पॉलिथीन की डायलगेज
इन्स्ट्रुमेंट से नापकर छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के तकनीकी सहायक श्रीमती सुमन
पटेल से मौके पर कराया गया प्रत्येक पैकेट को पृथक-पृथक सीलबन्द कर प्रमाण पत्र को
पैकेट पर चस्पा किया गया।

उपरोक्तानुसार सभी 33 पैकेट जप्त कर कब्जे में लिये गये।

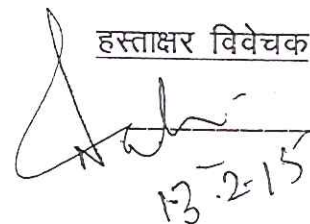
पंचगवाह के हस्ताक्षर

- (1)  13.2.15
- (2)  13.02.15
- (3)  13.02.15

हस्ताक्षर गोदाम प्रभारी



हस्ताक्षर विवेचक

 13.2.15

नियंत्रण प्रार्थी
(एस.डी.देवरथल)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)